संख्या/002/XXX(2)/2012–55(47)/2004 टी.सी.

(93)

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह रावत
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांक 9 अक्टूबर,2012

विषयः– विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें तथा निःसंवर्गीय पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 904/XXX(2)/2012.55(47)/2004टी.सी. एवं शासनादेश संख्या 905/XXX(2)/2012.55(47)/2004 टी.सी. दिनांक 5 सितम्बर, 2012 में राज्याधीन लोक सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी के कार्मिकों की निःसंवर्गीय पदों पर नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं जिसमें यह प्राविधान किया गया है कि निःसंवर्गीय पदों के सृजन के लिए जनपदों/विभागों से प्रस्ताव भेजने और निःसंवर्गीय पदों के सृजन की कार्यवाही शासन स्तर पर करे जाने में अनावश्यक विलम्ब होने की सम्भावना रहती है, अतः इस स्थिति के निराकरण के लिए प्रोन्नति के प्रकम पर जहॉ जितने निःसंवर्गीय पद आवश्यक हों, उतने निःसंवर्गीय पद सृजित समझे जायेंगे।

2– उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेश संख्या 904 एवं संख्या 905 दिनांक 5 सितम्बर, 2012 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निःसवंर्गीय पदों के सृजन की मानीटरिंग और इन पदों पर नियुक्त कार्मिकों के वेतन आहरण को वित्त विभाग की कम्प्यूटर प्रणाली में लाने हेतु सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित व्यवस्था निर्धारित की जाती है :–

(1) सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संवर्ग के ढ़ॉचे में प्रोन्नति के प्रकम पर पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों की संख्या का निर्धारण किया जायेगा। निर्धारित रिक्तियों को भरे जाने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आहूत किये जाने के लिए प्रकियानुसार आवश्यक प्रपत्र तैयार किये जायेंगे। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा यह भी देखा जायेगा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के ऐसे कार्मिक जो प्रोन्नति में आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था जो दिनांक 10 जुलाई, 2012 से पूर्व प्रचलित थी, के अनुसार पदोन्नति पाते, उनकी संख्या कितनी है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पात्रता क्षेत्र के ऐसे अभ्यर्थी जो 10 जुलाई, 2012 से पूर्व की पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था के अनुसार पदोन्नति पाते उनको निःसंवर्गीय पद पर पदोन्नति के प्रकम पर नियुक्ति करेगें। विभागीय चयन समिति द्वारा उपलब्ध रिक्तियों पर प्रकिया के अनुसार चयन करके पदोन्नति के पदों पर नियुक्ति के लिए संस्तुति की जायेगी। नियुक्ति प्राधिकारी चयन समिति की संस्तुति के अनुसार पदोन्नति के आदेश जारी करेगें।

(2) निःसंवर्गीय पद के विरूद्ध अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु जो नियुक्ति पत्र निर्गत किया जायेगा उसमें यह स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा कि शासनादेश संख्या 905/XXX(2)/2012 दिनांक 5 सितम्बर, 2012 के अनुसार निर्दिष्ट वेतनमान तथा पदनाम के साथ आवश्यक संख्या में पद सृजित हो गये हैं तथा आगे यह स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा कि यह नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट याचिका संख्या 1446/एस.एस./2012, 1994/एम.एस./2012 एवं संख्या 1998/एम.एस./2012 के निर्णय के अधीन होंगें।

(3) सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्गत किए जाने वाले नियुक्ति पत्र की प्रति अन्य के साथ–साथ अनिवार्य रूप से सम्बन्धित जिले के कोषागार एवं आहरण वितरण अधिकारी को पृष्ठांकित की जायेगी और सम्बन्धित कोषागार/आहरण वितरण अधिकारी द्वारा इस पत्र को पद सृजन से सम्बन्धित आदेश के रूप में मान्यता देने के साथ–साथ तदानुसार देय वेतन आहरण हेतु भी मान्यता प्रदान की जायेगी।

(4) प्रत्येक माह के अन्त में सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार को भेजे जाने वाले **Change Statement** में लाल स्याही से बड़े अक्षरों में यह स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा कि अमुक कार्मिक की नियुक्ति निःसंवर्गीय पद के सापेक्ष होने के कारण उनके वेतनमान में अमुक दिनांक से संशोधन हुआ है। तद्क्रम में, कोषागार द्वारा अपनी कम्प्यूटर प्रणाली के अन्तर्गत निःसंवर्गीय पद पर नियुक्त होने वाले ऐसे कार्मिक के वेतन आहरण का विवरण पृथक से रखा जायेगा ताकि विभाग/आहरण वितरण अधिकारी को निःसंवर्गीय पदों के सापेक्ष नियुक्त कार्मिकों तथा उन्हें भुगतान किए गए वेतन आदि की जानकारी की आवश्यकता पड़ने पर उन्हें यह सूचना कम्प्यूटर प्रणाली/कोषागार की **MIS** प्रणाली से तत्काल संकलित रूप से प्राप्त हो सके।

(5) सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निःसंवर्गीय पद के सृजन एवं उसके सापेक्ष कार्मिक की नियुक्ति सम्बन्धी आदेश की प्रति तथा निःसंवर्गीय पद सृजित समझे जाने के आधार/औचित्य का विवरण नियुक्ति पत्र निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर विभागाध्यक्ष को प्रेषित किया जायेगा और विभागाध्यक्ष स्तर पर की जाने वाली ऐसी नियुक्तियों की सूचना का विवरण विभागाध्यक्ष द्वारा शासन स्तर पर अपने प्रशासकीय विभाग को भेजा जायेगा। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार उपलब्ध कराये गये विवरण का परीक्षण, यथा लागू, विभागाध्यक्ष एवं शासन स्तर पर सूचना प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर कर लिया जायेगा और यदि परीक्षण के उपरान्त निःसंवर्गीय पद सृजन के बिन्दु पर कोई सारगर्भित त्रुटि पायी जाय तो सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी को त्रुटि के समाधान हेतु तत्काल आवश्यक निर्देश निर्गत किए जायेंगे।

(6) उपरोक्तानुसार शासन स्तर पर प्रशासकीय विभाग के अन्तर्गत निःसंवर्गीय पद सृजन एवं नियुक्ति का विवरण प्राप्त होने पर प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रतिमाह संकलित सूचना का विवरण शासन के वित्त विभाग को भी उपलब्ध कराया जायेगा, ताकि वित्त विभाग के स्तर पर ऐसी सूचना का आवश्यकतानुसार परीक्षण करने के साथ–साथ उसका उपयोग बजट साहित्य के लिए भी किया जा सकेगा।

3– उपरोक्त दिशा–निर्देश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

4– कृपया उपर्युक्त दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
सचिव।

संख्या /XXX(2)/2012–55(47)/2004 टी.सी./तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड को महामहिम राज्यपाल के संज्ञानार्थ।
2. प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड को मा. अध्यक्ष, विधान सभा के संज्ञानार्थ।
3. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को मा. मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4. समस्त निजी सचिव, मा. मंत्रीगण को मा. मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
5. महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड।
6. स्टाफ आफीसर मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
7. मण्डलायुक्त, कूमार्यूं/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. महानिदेशक, सूचना, उत्तराखण्ड।
10. अधिशासी निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. वरिष्ठ वित्त अधिकारी, इरला चैक, सचिवालय, देहरादून।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
उप सचिव।